



सप्तदश

# बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 01 श्रावण, 1946 (श०)  
23 जुलाई, 2024 (इ०)

प्रश्नों की कुल संख्या 179

(1) शिक्षा विभाग	.. ..	117
(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	.. ..	10
(3) समाज कल्याण विभाग	.. ..	06
(4) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	.. ..	07
(5) खान एवं भूतत्व विभाग	.. ..	06
(6) मछ निपेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	.. ..	03
(7) परिवहन विभाग	.. ..	10
(8) खेल विभाग	.. ..	20

कुल योग -- 179

बस परिचालित करना एवं किराया संतुलित करना

\*1. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गया से शेरघाटी भाया चेरकी मार्ग में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का परिचालन किया जाता है जो मुख्य बाजार में भी जाया करती थी, परन्तु पिछले कुछ महीनों से मुख्य बाजार में बसों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया से शेरघाटी थाना मोड़ तक का किराया 45 रुपये है एवं मुख्य मार्ग हाकबंगला तक का किराया 53 रुपये है, सिर्फ दो किलो मीटर के किराये में 8 रुपये की वृद्धि कर दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक बसों को मुख्य मार्ग में परिचालित कर किराया को संतुलित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय का उत्क्रमण

\*2. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झांझा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, लखीसराय ने पत्रांक 289/गो0, लखीसराय दिनांक 31 जनवरी, 2024 द्वारा मध्य विद्यालय, धनवह (जानकीडीह पंचायत) प्रखंड चानन, लखीसराय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने के संबंध में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अनुशांसा पत्र भेजा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जिला पदाधिकारी, लखीसराय के अनुशांसा पत्र के आलोक में मध्य विद्यालय, धनवह (जानकीडीह पंचायत) प्रखंड चानन को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जुर्माना की राशि घटाना

\*3. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में सिर्फ लघु खनिज (बालू एवं पत्थर) के ओवर लोडिंग पर ही 25 गुणा जुर्माना का प्रावधान है, जबकि अन्य वस्तु के ओवर लोडिंग पर इतनी बड़ी राशि के जुर्माना का प्रावधान नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा सिर्फ लघु खनिज पर जुर्माना की राशि 25 गुणा निर्धारण का औचित्य क्या है ?

अनुदानित उच्च विद्यालयों का अधिग्रहण

\*4. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के मेदन सिरसिया में अवस्थित जनता जानकी उच्च विद्यालय सहित राज्य में हजारों अनुदानित उच्च विद्यालय हैं, जिनमें कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त जनता जानकी उच्च विद्यालय के बगल में अवस्थित मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बना दिये जाने से अनुदानित विद्यालय एवं इसमें कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनुदानित जनता जानकी उच्च विद्यालय सहित राज्य के सभी अनुदानित उच्च विद्यालयों का अधिग्रहण करते हुये सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सरकारी कर्मों के रूप में समायोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### भवन का निर्माण

\*5. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर प्रखंड के ग्राम+पोस्ट-मौरा झरकहा, वार्ड नम्बर 18 के नव प्राथमिक विद्यालय, दुनिलाल यादव टोला के विद्यालय खुले आकाश के नीचे संचालित किया जाता है, जिससे बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचल अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 435, दिनांक 15 मई, 2024 के द्वारा विद्यालय हेतु जमीन उपलब्ध करा दिया गया है, इसके बावजूद विभाग द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

### चहारदीवारी का निर्माण

\*6. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत ताजपुर नगर परिषद् के वार्ड नम्बर 19 में स्थित प्राथमिक विद्यालय, मुर्गियाचक में चहारदीवारी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं की सुरक्षा का खतरा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त विद्यालय के चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

### पेंशन का लाभ देना

\*7. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगडिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार/उपक्रम एवं अन्य राज्यों से अवकाश प्राप्त वित्त पदाधिकारी, वित्तीय सलाहकार एवं कुलपति एवं कुलसचिव का पुनर्नियुक्ति राजभवन स्तर से होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना विश्वविद्यालय एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में वित्त पदाधिकारी, वित्तीय सलाहकार के पद रिक्त रहने के कारण वित्तीय व्यय का लेखा-जोखा में कठिनाई होती है, साथ ही जुलाई, 2024 में राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के नियमावली संकल्प में पुनर्नियुक्ति के मामले में पेंशन नहीं काटे जाने का प्रावधान है, इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी, वित्तीय सलाहकार एवं कुलपति एवं कुलसचिव का पुनर्नियुक्ति की सेवा शर्तों एवं नियमावली में पेंशन का लाभ बरकरार रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

### उच्च विद्यालय बनाना

\*8. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत चंडी प्रखंड के ग्राम पंचायत, बेलछी के ग्राम-बेलछी में सर गणेश दत्त मध्य विद्यालय, बेलछी की स्थापना 1934 में हुआ है और पर्याप्त जमीन भी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के नियमानुसार जिस ग्राम के नाम से ग्राम पंचायत का नाम है एवं मध्य विद्यालय पूर्व से स्थापित है, उसी मध्य विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करना है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार के नियम के विरुद्ध ग्राम पंचायत, बेलछी के मध्य विद्यालय के स्थान पर दररिया बिगहा को +2 उच्च विद्यालय बना दिया गया है, जो कि ग्राम पंचायत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक +2 उच्च विद्यालय, दररिया बिगहा के मान्यता को रद्द करते हुये सर गणेश दत्त मध्य विद्यालय, बेलछी को +2 उच्च विद्यालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन कार्यालय खोलना

\*9. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झांझा)--क्या मंत्री, मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समाहर्ता-सह-जिला निबंधक, जमुई ने अपने पत्रांक-911, दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से नगर परिषद, झांझा में निबंधन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विभाग को भेजा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर परिषद, झांझा में निबंधन कार्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की मरम्मत कराना

\*10. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बायसी विधान सभा अन्तर्गत प्रखण्ड बायसी में मध्य विद्यालय, हमौरगंज एवं प्रखण्ड डगरूआ के मध्य विद्यालय, कनरिया तथा अन्य प्राथमिक विद्यालयों एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों की मरम्मत के लिए कम्पोजिट ग्रांड हेड की राशि का गबन पिछले तीन वर्षों से विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय पंजी में मात्र राशि की निकासी अंकित किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कम्पोजिट ग्रांड हेड की राशि के गबन की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई के साथ विद्यालय मरम्मत कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन निर्माण

\*11. श्री शिव प्रकाश रंजन (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-गड़हनी के न्यू प्राथमिक विद्यालय, पासवान टोला, बराप, गड़हनी, (यू0 डी0 आई0 एस0 ई0 कोड-10291300803) को भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद उसे दूर के संस्कृत विद्यालय, गड़हनी में मर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण उक्त स्कूल में नामांकित करीब 150 बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, जबकि अंचलाधिकारी, गड़हनी के पत्रांक-111, दिनांक 10 फरवरी, 2024 के माध्यम से उक्त विद्यालय के लिए जमीन उपलब्धता की एन0 ओ0 सी0 प्रदान कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराकर पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का उत्क्रमण

\*12. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के तिलौथु प्रखंड अंतर्गत तिलौथु कन्या मध्य विद्यालय में 1000 छात्राएँ अध्ययन करती हैं तथा यह विद्यालय उच्च विद्यालय बनने की सभी अर्हता पूरा करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को कन्या उच्च विद्यालय, तिलौथु में परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कुलपति पर कार्रवाई

\*13. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 इमरौव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित होने वाली पी0 एच0 डी0 पात्रता परीक्षा में पिछड़े वर्गों (OBC) के विद्यार्थियों का आवेदन

शुल्क आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों से अधिक निर्धारित है जिससे बिहार सरकार द्वारा करायी गयी जाति आधारित गणना के अनुसार ई0डब्ल्यू0एस0 की तुलना में अधिक गरीब पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेट 2023 की परीक्षा की अधिसूचना में ई0डब्ल्यू0एस0 और पिछड़ा वर्ग दोनों का शुल्क एक बराबर रखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को भी ई0 डब्ल्यू0 एस0 वर्ग के विद्यार्थियों की तरह रियायत देने तथा आरक्षण नियमों के उल्लंघन करने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

#### गुणवत्ता की जांच करना

\*14. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, कठैया, बैरिया प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लखनी बाजार, तधवानंदपुर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बथना समेत दर्जनों विद्यालयों के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार एवं सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया है जिसके कारण कई स्थानों पर चहारदीवारी में दरार आ गयी है तथा 270 फीट सबमर्सिबल बोरिंग की जगह मात्र 165 फीट बोरिंग किया गया है, जिससे गंदा पानी निकल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य की गुणवत्ता की जांच राज्यस्तरीय टीम से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

#### भवन निर्माण करना

\*15. श्री शकील अहमद खॉं (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय, चंदहर का भवन जर्जर है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में कबतक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

#### साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्रशिक्षक की नियुक्ति

\*16. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी संस्थानों एवं कार्यालयों में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्रशिक्षण नहीं होने के कारण मूक-बधिर व्यक्तियों को अपनी समस्याओं को समझने एवं समझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्रशिक्षक की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

#### विद्यालय भवन का निर्माण करना

\*17. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मणिकचौक, अनुसूचित जाति विद्यालय खपरेल भवन में संचालित है एवं प्राथमिक विद्यालय, अथरी भवनहीन है, जिससे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## महादलित शोड का निर्माण

\*18. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखण्ड के रायपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 के शोरा टोला में तथा वार्ड संख्या 12 के मुसहरी टोला में महादलित शोड नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नानपुर प्रखण्ड के रायपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 के शोरा टोला में भूमि जिसका खाता संख्या 5255 तथा वार्ड संख्या 12 मुसहरी टोला में भूमि जिसका खाता संख्या 5089 है, शोड निर्माण हेतु उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नानपुर प्रखण्ड के रायपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 के शोरा टोला में तथा वार्ड संख्या 12 के मुसहरी टोला में महादलित शोड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## दोषियों पर कार्रवाई

\*19. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उच्च विद्यालय, अरैला, उच्च विद्यालय, हसवाडीह सहित उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बिना प्रबंधकारिणी समिति की अनुमति के प्रधानाध्यापकों एवं कनीय पदाधिकारियों की मिली-भगत से बिना कोई कार्य किये विकास संबंधी दस-दस लाख रुपये की राशि की निकासी कर ली गयी है जबकि विभाग का आदेश है कि प्रबंधकारिणी समिति की अनुमति के बिना किसी भी राशि की निकासी नहीं की जा सकती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

\*20. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड डोभी के ग्राम पंचायत कुरमावां के ग्राम सपालो में तथा ग्राम पंचायत पट्टी के ग्राम-कंगालीबिगहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिसके कारण बच्चों को सुदूर ग्रामों में जाकर पठन पाठन का कार्य करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय भवन का निर्माण

\*21. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि +2 जनता उच्च विद्यालय, पीठोरा में अभीतक भवन का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार इस विद्यालय में उक्त भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## स्टेडियम का निर्माण

\*22. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-8] अलीनगर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड में आजतक स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अलीनगर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

\*23. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अन्तर्गत अपसद गांव में उत्क्रमित इंटर विद्यालय संचालित है तथा उक्त विद्यालय में इंटर भवन नहीं बनने के कारण पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई करना

\*24. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बी०पी०एस०सी० से नवनियुक्त शिक्षकों को बिना वरीयता क्रम निर्धारित के प्रदेश के विद्यालयों में स्वेच्छाचारी तरीके से प्रभारी प्रधानाचार्य/प्राचार्य बनाने के कारण पहले से कार्यरत वरीय शिक्षकों में आक्रोश है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अन्य वरीय शिक्षकों को नजरअंदाज कर वैशाली जिला में गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहदेई बुजुर्ग का प्रभारी प्रधानाचार्य नवनियुक्त बी०पी०एस०सी० शिक्षक को बनाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पोस्टिंग एवं सक्षमता परीक्षा का आयोजन

\*25. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रदेश में नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण 1 लाख 87 हजार शिक्षकों का विद्यालयों में पोस्टिंग एवं शेष शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा की प्रक्रिया अबतक पूर्ण नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उत्तीर्ण शिक्षकों की पोस्टिंग एवं शेष शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा का आयोजन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय का निर्माण

\*26. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद सरकार द्वारा राज्य के सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि है समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी प्रखंड अन्तर्गत अशरफपुर, सुपौल पंचायत में अवस्थित उच्च विद्यालय, उसराहा पटोरी नगर परिषद् के गठन के बाद नगर परिषद् क्षेत्र में चला गया है जिसके कारण इस पंचायत में कोई उच्च विद्यालय नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय कोष राशि का मनमानी तरीके से व्यय

\*27. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी संचालित सरकारी विद्यालयों में गठित प्रबंध समिति का पदेन अध्यक्ष स्थानीय मा० सदस्यों को बनाये जाने के बावजूद प्रतिनिधियों द्वारा बिना अध्यक्ष अनुमति के ही या संज्ञान में लाये बिना ही विद्यालय विकास हेतु विद्यालय कोष की राशि मनमानी तरीके से व्यय किये जाने का औचित्य क्या है ?

### सड़क दुर्घटना से बचाव

\*28. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "सूबे में हर साल औसतन होती है दस हजार सड़क दुर्घटनाएँ" के आलोक में क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला सहित सूबे में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दो वर्ष पहले तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े लगभग 9500 थे, परंतु बीते साल ये आंकड़े 10,000 के पार हो गया है तथा सड़क दुर्घटनाओं में 15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दुर्घटनाओं के आंकड़े को देखते हुये सड़क दुर्घटना से बचाव के लिये ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### लॉबित वेतन का भुगतान

\*29. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के जेड०ए० इस्लामिया कॉलेज, सीवान में 12 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति विभिन्न विभागों में शासी निकाय द्वारा जारी विज्ञप्ति के आधार पर मार्च, 2022 में किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त 12 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन एवं विगत दो वर्षों से लॉबित वेतन का भुगतान प्रारम्भ नहीं किया गया है, जबकि उक्त सहायक प्राध्यापकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से रिक्त पद पर चयन समिति के पत्रांक 4414 (आर०), दिनांक 07 मार्च, 2021 के अनुरांसा के आलोक में की गई थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 12 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त कर लॉबित वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### डिग्री महाविद्यालय स्थापित करना

\*30. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कुटुम्बा के अम्बा स्थित चिल्हकी (+2) उच्च विद्यालय में डिग्री तक पठन-पाठन हेतु व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

### स्टेडियम का निर्माण

\*31. श्री राम सुरत कुमार (क्षेत्र संख्या-89 औराई)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम के निर्माण की घोषणा वर्ष 2008-09 में की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कटरा प्रखंड के अधिक लाल झा (10+2) विद्यालय, खंगुरा में 2 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है लेकिन आजतक उक्त प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?



आवासीय विद्यालय की स्थापना करना

\*32. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैती (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के पीरपैती विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि पीरपैती में कोई भी अनुसूचित जाति राजकीय आवासीय विद्यालय नहीं है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पीरपैती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति राजकीय आवासीय विद्यालय का स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

\*33. श्री अरुण कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-183 कुम्हारार)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना अन्तर्गत बी०डी० कॉलेज, मीठापुर के कुल 4 शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थापित रहने के बावजूद शहरी क्षेत्र के हाऊस रेंट एवं अन्य भत्ता अपने मूल कॉलेज से लेते हैं ;
- (2) क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय परिनियम एवं पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुये कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा एस०डी०एम० कॉलेज, पुनपुन, रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय, पटना एवं बी०डी० कॉलेज, पटना में कनीय शिक्षक को भी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

\*34. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिये स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा ;
- (2) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोधगया प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

\*35. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 मई, 2024 प्रकाशित शीर्षक "पोशाक और छात्रवृत्ति का बकाया करोड़ों का हिसाब बकाया लॉक हो जायेगी निकासी" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक छात्रवृत्ति व पोशाक सहित अन्य योजनाओं के लिये करोड़ों की राशि की डी०सी० विपत्र और उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलों में पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने का औचित्य क्या है ?

भवन एवं शौचालय का निर्माण

\*36. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज नगर परिषद् के वार्ड संख्या 16 अन्तर्गत राजकीय कन्या मध्य विद्यालय है जिसमें लगभग 700 छात्राएँ नामांकित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कन्या मध्य विद्यालय भवन में पर्याप्त संख्या में अध्ययन कक्ष नहीं है जिस कारण छात्राओं की कक्षाएँ खुले आसमान के नीचे संचालित की जा रही है, जहाँ बुनियादी सुविधा का अभाव है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नरकटियागंज नगर परिषद् वार्ड संख्या 16 के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में भवन एवं शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निजी स्कूलों पर कार्रवाई

\*37. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 मई, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "सीट से चार गुणा आवेदन ले निजी स्कूल करते हैं मोटी कमाई" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के निजी स्कूल दाखिला के लिये रिक्त सीट से आवेदन चार गुणा अधिक लेते हैं यथा पटना के नेहरू पथ स्थित नर्सरी स्कूल 40 सीट के लिये 1600 और बाईपास स्थित निजी स्कूल 120 सीट के लिये 200 से अधिक आवेदन लेते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि निजी स्कूल नामांकन फीस के साथ द्यूशन फीस लेते हैं लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में उक्त फीस को नहीं दर्शाते हैं जिससे सरकार को राजस्व की हानि होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आवेदन और द्यूशन फीस के नाम पर मोटी कमाई करने और ऑडिट के समक्ष उसे प्रस्तुत नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण

\*38. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर, हरिजन टोला, मौजा-माधोपुर, प्रखंड-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज का भवन निर्माण अभीतक नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभी उक्त स्कूल वर्णित हरिजन टोला से 2 किलो मीटर दूर माधोपुर हाई स्कूल में चल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त हरिजन टोला के प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ?

विद्यालय संचालित कराना

\*39. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत हासिलपुर पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, सिंघिनपुर (गंगा पार) को छः किलो मीटर दूर स्थित रसूलपुर पंचायत के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय, रमसापुर के साथ जोड़े जाने से दूरी के कारण सिंघिनपुर के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे जा रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार नवसृजित विद्यालय, सिंघिनपुर (गंगा पार) को पूर्व की भाँति सिंघिनपुर ग्राम में संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार

\*40. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के कोल्हासार पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, पलनिया का भवन जर्जर होने के कारण कक्षा संचालन दूसरे विद्यालय में किया जाता है, जिससे छात्र-छात्राओं को लगभग 3 किलो मीटर दूर पढ़ने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

## छात्रावास बनाना और चहारदीवारी को ऊँची करना

\*41. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत नीमा पंचायत में संचालित डॉ० भीमराव अम्बेदकर 10+2 अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय विद्यालय, नीमा में छात्रों के नामांकन के लिये 720 पद स्वीकृत है, छात्रावास के लिये बने 24 कमरों में से 12 कमरे जर्जर हो चुके हैं तथा चहारदीवारी की ऊँचाई भी कम है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ छात्रावास बनाने और चहारदीवारी को ऊँची करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## सम्पर्क पथ का निर्माण

\*42. श्री तारकेशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी-अमदाबाद प्रखंड की सीमा पर स्थित गोगाबिल झील पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, जिसपर सैकड़ों प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन झील को विकसित नहीं किये जाने के कारण सैलानियों एवं पर्यावरणविदों को कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस झील को मनिहारी-अमदाबाद मुख्य पथ से पक्की सड़क द्वारा नहीं जोड़ा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक गोगाबिल झील को सैलानियों एवं पर्यावरणविदों के लिये विकसित करने एवं पक्की सम्पर्क पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## उत्क्रमित मध्य विद्यालय का निर्माण

\*43. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड अन्तर्गत भीरपुर ग्राम पंचायत के रघुनाथपुर ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय स्थित है परंतु मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त ग्राम के छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु लगभग 3 किलो मीटर की दूरी पर स्थित मध्य विद्यालय को जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी कठिनाई होती है, क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय का प्रवेश

\*44. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत नगरनौसा प्रखंड के ग्राम पंचायत, खजुरा के ग्राम-शिवालापर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पंचरूखीया अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का प्रवेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नगरनौसा (नालन्दा) से न होकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा) से किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पंचरूखीया का प्रवेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नगरनौसा (नालन्दा) से करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## नियुक्ति करना

\*45. श्री अरूण कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-183 कुम्हार) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन (ग्रुप-ए) के पद रिक्त हैं, और सभी जगह पुस्तकालयों का चार्ज अन्य विभाग के शिक्षकों को दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार सभी अंगीभूत एवं शासकीय महाविद्यालयों (कॉलेजों) में लाइब्रेरियन का पद यू० जी० सी० के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य (पे लेवल-10) का पद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## स्टेडियम का निर्माण

\*46. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ० जा०)) -- क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखण्ड इटादी में एक भी स्टेडियम नहीं होने से ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं तथा खिलाड़ियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखण्ड-इटादी में सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण

\*47. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड के उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले दक्षिणी में एवं सिंहवाड़ा प्रखण्ड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंहवाड़ा उत्तरी में वर्ग कक्ष के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन करने में काफी परेशानी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग कक्ष के अभाव में मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय दोनों अलग-अलग शिफ्ट में कक्षा का संचालन होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले दक्षिणी में एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंहवाड़ा उत्तरी में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## डिग्री कॉलेज खोलना

\*48. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ में जमीन उपलब्ध रहने के उपरान्त भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं खोला गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महुआ अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

क्रशर मशीन को चालू कराना

\*49. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम में 2010 से क्रशर मशीन बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण लाखों मजदूरों को जीवन निर्वाहन में कठिनाई हो रही है, जबकि सासाराम में माईनिंग का पहाड़ हजारों एकड़ में फैला हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक रोहतास जिला के सासाराम में बंद पड़े क्रशर मशीन को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

\*50. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बडहरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत बडहरिया प्रखंड में पंचायत रामपुर के ग्राम लालाहाता दलित टोला में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं होने से दलित बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन बनाना

'क'-\*51. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सभी दलित बस्तियों में सामुदायिक भवन बनाने का प्रावधान है, मुंगेर जिला के सदर तथा बरियारपुर प्रखंड में समाज कल्याण पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को अनेक बार जमीन का विवरण दिए जाने के बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, यदि हाँ तो सरकार मुंगेर जिला के सदर तथा बरियारपुर प्रखंड के सभी दलित बस्तियों में सामुदायिक भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

\*52. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के गोरानदी अनुसूचित (हरिजन) टोला एवं तांती टोला में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड नहीं हैं, जबकि उक्त दोनों टोला में SC, ST की आबादी पांच सौ से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के तहत पांच सौ आबादी वाले महादलित बस्ती में महादलित सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों टोला में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

\*53. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत गोरेयाकोटी प्रखंड के गोरेयाकोटी पंचायत के लालपरी देवी प्रोजेक्ट बालिका (+2) विद्यालय, गोरेयाकोटी एवं सरारी दक्षिण पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नोनियाटोल में चहारदीवारी नहीं होने के कारण पठन-पाठन कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-3285, दिनांक 12 जुलाई, 2024 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से स्थानांतरित ।

विद्यालय का भवन निर्माण कराना

\*54. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत अकोढीगोला प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय, बाबूगंज को मध्य विद्यालय, गोवर्द्धनपुर स्कूल में संचालित किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के जमीन अंचल अकोढीगोला, मौजा-गोवर्द्धनपुर, खाता संख्या सीएस-108/आरएस-331, खेसरा नं० 1040/1823 में 8 डिसमील उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त जमीन पर नव प्राथमिक विद्यालय, बाबूगंज का भवन निर्माण कार्य कराकर पठन-पाठन का कार्य सुचारू ढंग से चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्रों का निवारण

\*55. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) में अंक पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि में त्रुटिनिवारण के लिये छात्र-छात्राओं से आवेदन शुल्क लिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालयों के नामांकन पंजी, परीक्षा हेतु विद्यालयों द्वारा कराये गये निबंधन आदि में अंकित जन्म तिथि सही रहने के बावजूद त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्र BSEB, पटना द्वारा निर्गत किया जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री शंकर कुमार मिश्र, 2004 की मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुये थे दयानंद उच्च विद्यालय, बहेड़ा के नामांकन पंजी, बोर्ड द्वारा निर्गत पंजीयन और प्रवेश-पत्र में जन्म तिथि 03 अक्टूबर, 1989 है, जबकि अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि 03 अक्टूबर, 1987 है, जिसे सुधार के लिये आवेदन जमा करने के बावजूद त्रुटिनिवारण नहीं किया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार BSEB, पटना द्वारा निर्गत त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्रों के निवारण के लिये कौन-सा कदम कबतक उठाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

\*56. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात् मृतक के आश्रित को 5 लाख मुआवजा राशि देने का प्रावधान है, परन्तु पटना जिलान्तर्गत बिक्रम प्रखंड स्थित पंचायत सैदाबाद कनपा, ग्राम-कनपा के सिद्धनाथ महतो, पिता-स्व० जानकी महतो की मृत्यु दिनांक 01 जनवरी, 2024 को प्रखंड-बिहटा, पंचायत-कुंजवा, ग्राम-रामतरी के इंदल कुमार, पिता-स्व० रामगोविन्द राम की मृत्यु दिनांक 12 जनवरी, 2023 को बिक्रम नगर पंचायत के वाई -5 के संतोष कुमार गुप्ता, पिता-रामनारायण प्रसाद गुप्ता की मृत्यु दिनांक 26 सितम्बर, 2022 को एवं वाई 6 के कमलेश प्रसाद, पिता-रामचन्द्र प्रसाद की मृत्यु दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को सड़क दुर्घटना में हो गयी थी, जिसका सत्यापन विभाग द्वारा करने के बावजूद आजतक उनके आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का जीर्णोद्धार

\*57. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के करगहर प्रखंड मुख्यालय स्थित जगजीवन स्टेडियम जीर्ण-शीर्ण एवं बदहाल स्थिति में है तथा मैदान में भी जगह-जगह गड्डे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जगजीवन स्टेडियम के जीर्णोद्धार का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## नये छात्रावास का निर्माण

\*58. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत महात्मा गाँधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय, खजौली के परिसर में 45 वर्ष पूर्व निर्मित हरिजन छात्रावास जीर्ण-शीर्ण होने के कारण आवासित छात्रों को रहने में कठिनाई होती है, तथा जान-माल का खतरा बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त छात्रावास को ध्वस्त कर नये छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड का निर्माण

\*59. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड नानपुर के मरियन पंचायत के बार्ड नं० 13, ग्राम-भलोहिया में 230 घरों में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं परन्तु उक्त ग्राम में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड नहीं रहने के कारण उक्त समुदाय के लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## कार्रवाई करना

\*60. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के नरहट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जलालपुर, उर्दू प्राथमिक विद्यालय, इजहारचक तथा अकबरपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय, डेरमा सहित बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों के भवनों, चहारदीवारी, शौचालयों, रसोई घरों आदि के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा राशि खर्च किये जाने के बावजूद इन सभी संरचनाओं की स्थिति वैसी ही बनी हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार स्कूलों के मरम्मत और जीर्णोद्धार में हुये भ्रष्टाचार की जाँच कबतक करवाकर सरकारी पैसे की लूट-खसोट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## बस का परिचालन करना

\*61. श्रीमती मोना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखण्ड के बाबूबरही से पिपराही, मधुबनी होते हुये पटना के लिये सरकारी बस परिचालन को बंद कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को पटना आने-जाने में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क खुटौना से बाबूबरही होते हुये मधुबनी जाने वाला मुख्य मार्ग है, साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से सटे रहने के कारण उक्त स्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना से बाबूबरही एवं बाबूबरही से पटना के बीच राज्य परिवहन की बसें पुनः चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

\*62. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी प्रखण्ड अन्तर्गत आमाकुँआ पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, माखपा नगर परिषद् में स्थानान्तरित हो जाने से आमाकुँआ पंचायत में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आमाकुँआ पंचायत उच्च विद्यालय की रिक्तता को दूर करने हेतु मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करने की आवश्यकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आमाकुँआ पंचायत के मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### दोषी पर कार्रवाई

\*63. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 से सभी +2 उच्च विद्यालयों एवं मध्य विद्यालयों में कम्प्यूटर अधिष्ठापन सहित शिक्षण कार्य के लिये कम्प्यूटर शिक्षक की प्रतिनियुक्ति, एजेन्सी चयन कर कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चयनित एजेन्सी द्वारा अबतक पूरे राज्य भर में कम्प्यूटर अधिष्ठापन का कार्य मात्र 10% ही कर पाये हैं तथा कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाले चयनित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य गुणवत्ता रहित है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खंडों में वर्णित स्थिति का उदाहरण नालन्दा जिला के एकंगरसराय प्रखंड के तारापुर उच्च विद्यालय, हाई स्कूल, बकौर एवं एन०के० गर्ल स्कूल, कोरामा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कम्प्यूटर अधिष्ठापन कार्य की जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

### चहारदीवारी का निर्माण

\*64. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड अंतर्गत सेमरा उच्च विद्यालय, सेमरा में चहारदीवारी नहीं है जिस कारण बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है तथा अतिक्रमण भी किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

### वर्ग कक्ष का निर्माण

\*65. श्री कंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला मुख्यालय में स्थित गणेशदत्त महाविद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या लगभग 32000 है, परन्तु वर्ग कक्ष के लिये 35 कमरा ही उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग के द्वारा ल०ना०मि० विश्वविद्यालय, दरभंगा को निर्देशित किया गया था कि वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्राक्कलन की विवरणी गणेशदत्त महाविद्यालय से प्राप्त किया जाये ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय के प्राधानाचार्य के द्वारा पत्रांक ए/सी-223/23, दिनांक 6 दिसम्बर, 2023 को ही वर्ग कक्ष बनाने हेतु प्राक्कलन की विवरणी कुल सचिव, ल०ना०मि० विश्वविद्यालय, दरभंगा को भेजा गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार छात्रों के हित में उक्त महाविद्यालय में वर्ग कक्ष निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### वेतन सत्यापन करना

\*66. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के सभी प्राध्यापकों का वेतन सत्यापन का कार्य शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा किये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डॉ० कुमार वरूण, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग ए०एन० कॉलेज, पटना सहित 100 से अधिक प्राध्यापकों के वेतन सत्यापन का कार्य शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग में 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है ;

(3) क्या यह बात सही है कि डॉ० कुमार वरूण के मामले में तीन माह पूर्व वित्त विभाग से सहमति मिलने के बावजूद उनके वेतन सत्यापन की संचिका शिक्षा विभाग में लंबित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वेतन सत्यापन के लिये लंबित मामलों का निबटारा सरकार कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?



## अभ्यर्थियों का नियोजन

\*67. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2011-12 में एस०टी०ई०टी० एवं बी०एड० उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों में से 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों का नियोजन किया जा चुका है और शेष बचे 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों के लिये अलग नियम से बी०पी०एस०सी० के तहत बहाली की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेष अभ्यर्थियों का उन्न समाप्त हो चुका है, जबकि संविधान में वर्णित नियम के अनुसार एक साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये दो अलग-अलग नियम न्यायोचित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों का नियोजन पूर्व के नियम के अनुसार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## स्टेडियम का निर्माण

\*68. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 मुरसंड)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत चार वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी छात्रावास के मैदान में बच्चों के खेल-कूद में बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है परंतु इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी स्टेडियम के निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होने से बच्चों का विकास अवरूढ़ हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास निमित्त खेल-कूद के प्रोत्साहन हेतु शिलान्यास स्थल पर स्टेडियम का जनहित में निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय भवन का निर्माण

\*69. डॉ० संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगडिया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखंड के माधवपुर पंचायत के मुरादपुर मध्य विद्यालय का भवन पिछले डेढ़ साल से टूटा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा राशि भी आवंटित कर दी गयी, फिर भी स्कूल का भवन नहीं बनने के कारण लगभग हजारों बच्चों को बाहर में बैठना पड़ता है जबकि स्कूल की जमीन अतिक्रमण मुक्त है और कोई विवाद भी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक माधवपुर पंचायत के मुरादपुर मध्य विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य आरंभ कर पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## बस स्टैंड का निर्माण

\*70. श्री मोती लाल प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया नगरपालिका बनने के उपरान्त भी वहां बस स्टैंड नहीं है जिससे आमजनों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यदि हाँ, तो सरकार बैरगनिया में कबतक बस स्टैंड बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## स्टेडियम का निर्माण

\*71. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगडिया जिला के परबत्ता प्रखंड के उच्च विद्यालय, कन्हैयाचक और गोगरी प्रखंड के भगवान उच्च विद्यालय में स्टेडियम निर्माण का कार्य विगत कई वर्षों से अधूरा है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा प्रभावित हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसके पूर्व भी प्रश्नकर्ता द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री और निदेशक, खेल विभाग को पत्र लिखने के बावजूद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक दोनों स्थानों पर स्टेडियम निर्माण का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## जर्जर भवन को गिराना

\*72. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत बनमनखी प्रखंड में अवस्थित सुमरित उच्च विद्यालय, बनमनखी का भवन पुराना एवं जर्जर है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त जर्जर भवन को गिराने हेतु प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ से लिखित अनुरोध दिसम्बर, 2022 में किया गया था, जिसपर विभाग से अबतक कोई दिशा-निर्देश नहीं प्राप्त होने के कारण विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुये हैं ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनहोनी से बचाने के लिये उक्त विद्यालय के जर्जर भवन को गिराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## संवेदक पर कार्रवाई करना

\*73. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड मोहड़ा के ग्राम-सेवतर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, जिसमें विद्यालय के संवेदक द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण विकास निगम लिमिटेड के तहत विद्यालय का भवन निर्माण कार्य 2023-24 से कराया जा रहा है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय भवन निर्माण में संवेदक के द्वारा घटिया किस्म का मटेरियल का प्रयोग कर सिर्फ लीपा-पोती की जा रहा है और सरकार का राशि का बंदर-बाट किया जा रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन जाँच कर संवेदक पर कार्रवाई करने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

\*74. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय खोलने का फैसला लिये जाने के बावजूद जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अन्तर्गत जयतिपुर-कुरूआ पंचायत में एक भी उच्च विद्यालय नहीं खोला गया जबकि बगल के ओकरी-विशुनपुर पंचायत में तीन उच्च विद्यालय (प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, ओकरी, उच्च विद्यालय, ओकरी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गढ़ जलालपुर) अवस्थित है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार छात्रों को अपने ही पंचायत में अवस्थित उच्च विद्यालय में नामांकन कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों को नामांकन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जयतिपुर-कुरूआ पंचायत में अवस्थित मध्य विद्यालय, मथाढ़ को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## स्टीमर का परिचालन कराना

\*75. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के क्षेत्र मटिहानी विधान सभा अंतर्गत शाम्भो प्रखंड, जिला मुख्यालय से लगभग 80 कि०मी० की दूरी पर है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि इस प्रखंड के एस०एस०बी०-1, एस०एस०बी०-2 एवं अकबरपुर बरारी पंचायतों की लगभग एक लाख आबादी गंगा नदी के किनारे पर बसी हुयी है, जिन्हें जिला मुख्यालय जाने के लिये गंगा नदी पार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में मटिहानी और शाम्भो के बीच गंगा नदी में आवागमन हेतु दो स्टीमर का परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## इंडोर स्टेडियम का निर्माण

\*76. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड के थाना चौक के बगल में 90 डिसमिल सरकारी जमीन उपलब्ध है और उक्त प्रखण्ड इंडोर स्टेडियम बनाने हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करता है, यदि हाँ, तो सरकार थाना चौक के पास इंडोर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

\*77. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम-पंचायत मंझुआ पश्चिम के ग्राम-इन्दरपुर के वार्ड नं० 1, 2, 3 तथा 4 में महादलितों की घनी आबादी है, किन्तु 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चों को स्टेट हाईवे 77 पार कर दूर के स्कूल में जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महादलित बाहुल्य वार्डों के समीप राजस्व मौजा-इन्दरपुर, खाता नं० 185, खेसरा नं० 596, रकबा 1.20 एकड़ शिक्षा विभाग के अधीन लालजी उच्च विद्यालय, रानीगंज की सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार महादलित परिवारों के बच्चों के लिये उल्लिखित जमीन पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## सरकारी स्कूल का दर्जा देना

\*78. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड में जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत में वित्तरहित नागर उच्च विद्यालय, पहाड़पुर, विद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक नागर उच्च विद्यालय, पहाड़पुर को पूर्ण रूप से सरकारी स्कूल का दर्जा नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नागर उच्च विद्यालय, पहाड़पुर को सरकारी स्कूल का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## डोमिसाइल नीति को लागू करना

\*79. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लु सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया है जबकि झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में राज्य के मूल निवासियों के लिये आरक्षण दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डोमिसाइल नीति के समाप्त हो जाने के कारण राज्य के गरीब व कमजोर युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के अवसर में कमी आई है, जिसके कारण उनमें अंसतोष व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के युवाओं के हित में भर्ती में डोमिसाइल नीति पर पुनर्विचार कर पुनः लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय में बेंच-डेस्क की आपूर्ति

\*80. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लु सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे औरंगाबाद में प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालयों में विभाग द्वारा बेंच एवं डेस्क की आपूर्ति की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला के सभी विद्यालयों में आपूर्ति की गयी बेंच, डेस्क मानक के अनुरूप नहीं है और आपूर्ति के कुछ ही समय बाद से टूटने लगे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार औरंगाबाद जिला के सभी विद्यालयों में घटिया बेंच-डेस्क की आपूर्ति की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने और मानक के अनुसार सामान आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## भवन का निर्माण

\*81. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बगहा विधान सभा अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज, चंदराहा रूपवलिया के उत्कर्मित मध्य विद्यालय तथा (10+2), हाई स्कूल, शेरा बाजार में लगभग 1200 बच्चों का नामांकन है एवं पठन-पाठन का कार्य हो रहा है, परन्तु उक्त विद्यालय का अपना भवन नहीं होने के कारण बच्चों को पठन-पाठन कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों का अपना भवन का निर्माण कार्य करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## महाविद्यालय खोलना

\*82. श्री शकील अहमद खॉ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 534 प्रखंडों में छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये महाविद्यालय नहीं है, जिस कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के सभी 534 प्रखंडों में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय के निजी भवन का निर्माण

\*83. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत चान्दन प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, तुरकी का निजी जमीन उपलब्ध है, लेकिन भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय के बगल में ट्राईसन भवन में विगत 10 वर्षों से पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालय, तुरकी के भवन के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, बाँका, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बाँका तथा शिक्षा विभाग, बिहार को पिछले वर्ष 2023 में पत्र लिखा गया है परन्तु आजतक भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के जमीन में भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## सदस्य मनोनीत करना

\*84. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा अभिषद् की बैठक में दिनांक 30 जून, 2016 के अ० मद संख्या 6 में निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय कोष में एक लाख एक रुपये की राशि जमा करने पर आजीवन अभिषद् सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्र० ब्रजमोहन मिश्रा समेत 44 व्यक्तियों ने 31 दिसम्बर, 2018 तक विश्वविद्यालय कोष में एक लाख एक रुपये जमाकर चुके हैं, लेकिन अभीतक मात्र 20 व्यक्तियों को आजीवन अभिषद् सदस्य मनोनीत किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाकी बचे हुये 24 व्यक्तियों को विश्वविद्यालय में आजीवन अभिषद् सदस्य मनोनीत करने या उनकी जमा राशि लौटाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## स्टेडियम का निर्माण

\*85. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रखंड-कोचाधामन में स्टेडियम (इंडोर सहित) का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि सरकारी प्रावधानुसार प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम (इंडोर सहित) का निर्माण प्रस्तावित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रखंड-कोचाधामन में स्टेडियम (इंडोर सहित) का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## आदर्श विद्यालय बनाना

\*86. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रफीगंज के ग्राम पंचायत, चौबड़ा के ग्राम-काजीचक में राजकीयकृत उर्दू काजीचक मध्य विद्यालय, काजीचक है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 700 है जो कि अल्पसंख्यक एवं गरीब तबके के बच्चे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत में एक भी आदर्श विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चों को उच्च शिक्षा एवं कम्प्यूटर इत्यादि सीखने के लिये 5 किलो मीटर दूर रफीगंज जाना पड़ता है जिससे बच्चों को आने-जाने में असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के राजकीयकृत उर्दू काजीचक मध्य विद्यालय, काजीचक को आदर्श विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## निबंधन कार्यालय खोलना

\*87. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखंड-कोटवा के दर्जनों राजस्व ग्रामों में आवासित ग्रामीणों को केसरिया रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन निबंधित (रजिस्ट्री) कराने के लिये अधिक दूरी एवं समय लगाकर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रखंड मुख्यालय, कोटवा में एक नया निबंधन कार्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## आधारभूत संरचना का निर्माण

\*88. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत, पचीरा में उच्च माध्यमिक विद्यालय, पचीरा को वर्ष 2020 में इन्टरस्तरीय विद्यालय में उत्क्रमित किया गया, जिसका यू ड्राइस कोड-10071308905 है, किन्तु चार वर्ष, बीतने के बावजूद उक्त विद्यालय में इन्टरस्तरीय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रधानाध्यापक कार्यालय, चहारदीवारी, गेट और छात्र-छात्राओं के अनुपात में शौचालय आदि का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में कबतक इन्टरस्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## सौन्दर्यीकरण करना

\*89. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ वन प्रमंडल के अधीन नगर निगम अन्तर्गत ध्रुव उद्यान, राजेन्द्र बाल उद्यान एवं इंदिरा गाँधी उद्यान को सौन्दर्यीकरण हेतु दो वर्ष पूर्व विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति के लिये मुख्यालय को भेजा गया है, किन्तु अभी तक इसका सौन्दर्यीकरण नहीं होने के कारण आगंतुकों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उद्यानों को कबतक सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## डिग्री स्तरीय कॉलेज का निर्माण

\*90. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत फतेपुर प्रखंड के गुरुपा, नौडिहा, जुराँव सहित कई क्षेत्रों से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 25 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फतेपुर में अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण यहाँ छात्र-छात्राओं को 50 कि०मी० दूर गया जाकर कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फतेपुर में एक डिग्री स्तरीय कॉलेज का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

## नए भवन का निर्माण

\*91. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत तरैया प्रखंड में अपग्रेड (+2) विद्यालय, चंचलिया एवं उत्कर्मित मध्य विद्यालय, अरदेवा के भवन नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में नए भवन निर्माण कार्य कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## आवासीय मध्य विद्यालय की स्थापना

\*92. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य एवं उपग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के तीनों प्रखण्ड यथा सिकन्दरा, खैरा, इस्लामनगर, अलीगंज साक्षरता दर में पिछड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अनुसूचित जातियों को शिक्षित करने हेतु सिकन्दरा एवं इस्लामनगर, अलीगंज प्रखण्ड में एक-एक आवासीय मध्य विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

## कार्रवाई करना

\*93. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--हिन्दी समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर शीर्षक "चयन हुआ नहीं और बतौर शिक्षक कर रहे चुनाव व एग्जाम ड्यूटी" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय में बिना चयन प्रक्रिया के बतौर शिक्षक 13 लोगों से लोक सभा चुनाव, 2019 तथा विधान सभा चुनाव, 2020 तथा मैट्रिक के वीक्षकों की सूची में भी नाम जोड़ा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्डस्तरीय रजिस्टर में 10 स्कूलों में इन 13 लोगों का नाम शिक्षक के रूप में अंकित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस्लामपुर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से फर्जीबाड़ी की जाँच करकर दोषी पर कौन-सी कार्रवाई कब तक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

## आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना

\*94. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनियारी (अ0 जा0 जा0))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनियारी प्रखण्ड अन्तर्गत फतेहपुर पंचायत के वार्ड संख्या 08 में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार वहाँ कब तक आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## कार्रवाई करना

\*95. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थायी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना द्वारा राज्य के सभी राजकीय/राजकीयकृत शिक्षकों एवं कर्मियों के स्थानांतरण/पदस्थापन तथा प्रतिनियुक्त पर रोक लगाई गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा द्वारा उक्त विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए कई शिक्षकों को विभिन्न प्रखंडों के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा द्वारा की गई पदस्थापनाओं को रद्द करते हुए दोषी शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## स्टेडियम का निर्माण

\*96. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बडहरिया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत पचरूखी प्रखंड के सुखाला पंचायत के बड़कागांव में स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित स्थल पर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## गड़बड़ी को रोकना

\*97 श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 जून, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सूबे में सौ से अधिक संस्थानों की होगी जांच" को ध्यान में रखकर क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में गड़बड़ी की शिकायतों के कारण पहली बार संस्थानों की भौतिक जांच कराई जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जो संस्थान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए चिन्हित नहीं है वह भी इस योजना के तहत लाभार्थी को लाभ दे रहे हैं, जिसकी जांच के क्रम में 5 साल के शुल्क का रिकॉर्ड भी मांगा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में संस्थानों द्वारा की जा रही गड़बड़ी की रोकथाम के लिए कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित करना

\*98. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड अतरी के ग्राम-नवादा टाँड में प्राथमिक विद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को पांच-पांच किलो मीटर दूर पैदल मध्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है जिससे पठन-पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### खेल मैदान का निर्माण

\*99. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के किला मैदान में खेल मैदान के निर्माण हेतु मुख्य वास्तुविद् भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 211, दिनांक 22 अप्रैल, 2024 द्वारा निदेशक, खेल विभाग को वास्तुविद् नक्शा अनुमोदन हेतु भेजा गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नक्शा पर कबतक अनुमोदन के साथ खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

### सहायता राशि देना

\*100. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में हुये जाति गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आँकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि 34% बिहार के परिवार 6,000 रुपये से कम आमदनी पर जीवित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 6000 से कम आय के 34% (94 लाख लगभग) परिवारों को 2 लाख रुपये प्रति परिवार राशि देने का वादा किया था एवं 94 लाख परिवारों में से महज 12000 परिवारों को ही राशिप्राप्त हो पायी है तथा साथ ही राज्य में सभी अंचलाधिकारियों द्वारा गरीबी रेखा में जीवन-यापन करने का प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उन सभी वंचित परिवारों को तत्काल आय प्रमाण-पत्र देने की अनुमति के साथ चिन्हित परिवारों को घोषित 2 लाख रुपये की राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

### विद्यालयों का भवन निर्माण

\*101. श्री शिव प्रकाश रंजन (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआंव का बुनियादी विद्यालय, अगिआंव, प्रखंड गडहनी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, श्रीनगर, पंचायत-बलिगांव एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गडहनी का भवन जर्जर हो चुका है एवं क्लास रूम की संख्या भी कम है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

### स्टेडियम का निर्माण कराना

\*102. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुवनी जिला के बिस्फी प्रखण्ड अन्तर्गत उच्च विद्यालय, नाहस खंगरैठा में स्टेडियम का निर्माण कार्य 15 वर्षों से अधूरा पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला विकास शाखा, मधुवनी का ज्ञापक 1028, दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में सचिव, भवन निर्माण विभाग एवं प्रभारी उप-निदेशक, खेल विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उच्च विद्यालय, खंगरैठा में अधूरे पड़े स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?



खेल मैदान की घेराबंदी कराना

\*103. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत नावकोठी प्रखंड के उच्च विद्यालय, नावकोठी के खेल मैदान की घेराबंदी एवं बैठने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान की घेराबंदी कराने एवं वहां बैठने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड का निर्माण

\*104. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगवि)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के गोरडीह पंचायत अन्तर्गत तांती टोला (बिरनौध) में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड नहीं है, जबकि उक्त टोला में SC/ST की आबादी पाँच सौ से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के तहत पांच सौ आबादी वाले महादलित बस्ती में महादलित सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त टोला में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराना

\*105. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखण्ड में राजकीयकृत मध्य विद्यालय, रतनपुर, राजकीयकृत मध्य विद्यालय, मिर्जापुर वन्दवार, उत्कर्मित मध्य विद्यालय, हैवतपुर एवं वीरपुर प्रखण्ड में स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय, मखवा का भवन जर्जर स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जीर्णोद्धार हेतु विभागीय पत्रांक 2024, दिनांक 4 नवम्बर, 2023 द्वारा राज्य के जर्जर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की सूची एवं प्राक्कलित सशि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी थी परन्तु आजतक जीर्णोद्धार संबंधित किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी है, जिस कारण विद्यालयों का निर्माण लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

\*106. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत उदयपुर जंगल से सटकर सरेयामन मझरिया कॉलोनी बसी हुयी है, जहां पर घनी आबादी निवास करती है और अधिक मात्रा में फसलों, साग-सब्जी का पैदावार किया करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उदयपुर जंगल की चहारदीवारी नहीं होने के कारण जंगल के जानवर सरेयाम मझरिया कॉलोनी में जाकर जान-माल की क्षति तथा किसानों के फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुँचा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उदयपुर जंगल की चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## कार्रवाई करना

\*107. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158-नाथनगर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के परिवहन विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड स्पलाई करने वाली एजेंसी का निर्धारण ससमय नहीं किये जाने के कारण ड्राईविंग लाईसेंस एवं ऑनर बुक के स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति बंद हो गई है जिससे पूरे राज्य में बैकलॉग आवेदनों की संख्या 1,25,000 पहुँच गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डिजिटल ऑनर बुक केवल वाहन मालिक के ही मोबाइल में रहता है जिसके कारण वाहन बिना स्मार्ट ऑनर बुक के ही चलता है जिस पर जुर्माना निर्धारित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ससमय एजेंसी तय नहीं करने वाले दोषियों को चिन्हित कर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## वित्तरहित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का अधिग्रहण

\*108. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी वित्तरहित अथवा अनुदानित माध्यमिक इंटर एवं डिग्री विद्यालयों, महाविद्यालयों का अनुदान 2018 या उससे भी पूर्व से बकाया है तथा अधिकांश वित्तरहित विद्यालयों, महाविद्यालयों का कोड निलंबित कर उन्हें नामांकन से भी वंचित कर दिया गया है जिससे वहां कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों में भुखमरी की स्थिति आ गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन वित्तरहित शैक्षणिक संस्थाओं के पास भूमि, भवन तथा आधारभूत संरचनाएं हैं तथा बिहार के बुनियादी शिक्षा ढांचा को सँभालने में इनकी भूमिका रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वित्तरहित माध्यमिक इंटर एवं डिग्री विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अधिग्रहण कर सरकारी व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय का निर्माण

\*109. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत ग्राम-भुसी में भुसी टोला, वखुरियाँ टोला, धर्मशीला टोला एवं हिदोलवा टोला में चान्दन प्रखंड के उत्तरी कसवा वसीलया पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, नहीं है जिससे उस टोले के बच्चे को अमरभाजोर नदी को पार कर तीन कि०मी० दूर स्थित प्राथमिक विद्यालय, नवाडीह में पठन-पाठन के लिये जाते हैं, जबकि बरसात के दिनों में पानी अधिक होने अथवा बाढ़ के कारण दो माह तक पठन-पाठन नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त टोला में विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## चहारदीवारी का निर्माण

\*110. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के नगर पंचायत-कटोरिया में कन्या मध्य विद्यालय के पिछले भाग में चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण स्कूल के इर्द-गिर्द आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों को विचरण से शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

\*111. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के पताही प्रखंड के पताही पूर्वी पंचायत स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, धागड़ टोली की अपनी भूमि है परंतु विद्यालय भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवनहीन विद्यालय का भवन निर्माण कार्य कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मैदान की घेराबंदी

\*112. श्री सुर्वकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत डंडारी प्रखंड के कतरमाला उत्तरी पंचायत के सिसौनी गांव दुर्गास्थान स्थित खेल के मैदान की घेराबंदी एवं बैठने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान की घेराबंदी कराने एवं वहां बैठने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का विस्तार

\*113. श्री भुदेव चौधरी (क्षेत्र संख्या-160 धौरैया (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिला के धौरैया प्रखंड अन्तर्गत बलियास गांव में स्थित उर्दू प्रोन्नत मध्य विद्यालय मात्र 03 डी० जमीन पर बने 03 कमरों में चलता है जिसमें 400 से अधिक छात्र-छात्राएँ पढ़ते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को विस्तारित करने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है जबकि कुछ दूरी पर बिहार सरकार की जमीन मौजूद है जिसपर विस्तार संभव है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बच्चों की सुविधा हेतु उक्त स्कूल को प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विभक्त कर सरकारी जमीन पर विद्यालय भवन का विस्तार करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ई-कचरा का संग्रहण एवं निष्पादन

\*114. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी )--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण राज्य में प्रत्येक घर से बड़ी मात्रा में ई-कचरा निकल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगरीय क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में डोर-टू-डोर ई-कचरा संग्रहण की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के क्रम में ई-कचरा का भी संग्रहण करने एवं उसके निष्पादन का अलग से प्रबंध करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## अनुग्रह अनुदान देना

\*115. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत कन्या मध्य विद्यालय, केवटी में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोईया श्रीमती देबिया देवी की सेवाकाल में मृत्यु हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक 175, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के आधार पर सेवाकाल में रसोईया के मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित को सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान दी जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मृतक रसोईया देबिया देवी के आश्रित को अनुग्रह अनुदान कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## भवन निर्माण

\*116. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के महिषी गाँव स्थित राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय का अपना कोई भवन नहीं है जिस कारण देवभाषा संस्कृत के छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, महिषी के भवन निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## कार्यभार देना

\*117. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--दैनिक अखबार में छपी खबर शीर्षक "नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक को कार्य आवंटन अभीतक नहीं हुआ है" के आलोक में क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार में मोटरयान निरीक्षक के कर्णांकित पद 128 है, जिसमें महज 19 मोटरयान निरीक्षक ही 128 मोटरयान निरीक्षक पदों का कार्यभार देखते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि 78 नये मोटरयान निरीक्षक की नियुक्ति की गई है और उन्हें मोटरयान निरीक्षक के कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया है जिससे आमजनता का काम समय पर निष्पादन नहीं होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी रिक्त मोटरयान निरीक्षक के पदों पर नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक को कार्यभार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## औंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन

\*118. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 मार्च, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "लक्ष्य का 33 प्रतिशत औंगनवाड़ी ही स्कूलों में संचालित" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के करीब 50 हजार औंगनवाड़ी केन्द्रों को समीप के स्कूलों में संचालित किये जाने की योजना सरकार की थी, जिसमें से सिर्फ 16,500 केन्द्रों का ही संचालन स्कूलों में किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा भवनहीन औंगनवाड़ी केन्द्रों को समीप के स्कूलों में संचालित करने का मुख्य उद्देश्य छोटे-छोटे बच्चों को स्कूलों में आने की आदत बनाने के साथ ही शिक्षकों द्वारा अच्छे भवन में छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक शेष बचे सभी औंगनवाड़ी केन्द्रों को भी स्कूलों में ही संचालित करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## स्टेडियम का निर्माण

\*119. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड-कोटवा में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि कोटवा प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित शिवधर अनूठा उच्चतर माध्यमिक (+2) विद्यालय, कोटवा खेल स्टेडियम बनाने की सभी शर्तें पूरी करता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के प्रांगण में आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य कराने का विचार रखत है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## प्रतिनियुक्ति रद्द करना

\*120. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के प्राथमिक शिक्षा शिक्षक महाविद्यालय, मसौढ़ी, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विक्रम तथा प्राथमिक शिक्षा शिक्षक महाविद्यालय, मोकामा सहित अन्य शिक्षण महाविद्यालय में प्राचार्य का पद रिक्त है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि दुर्भावना के तहत व्याख्यताओं की प्रतिनियुक्ति कर उक्त महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में प्रभारी प्राचार्य बनाया जाता है, जबकि संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पदस्थापित शिक्षकों को प्रभारी प्राचार्य नहीं बनाया जाता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत व्याख्यताओं से प्रभारी प्राचार्य के पदभार वापस करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

## कमरों का निर्माण

\*121. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के राजापाकर दक्षिणी पंचायत में अवस्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बनघरा में वर्तमान में वर्ग कक्षा की संख्या 6 (छः) है तथा विद्यार्थियों की संख्या 800 (आठ सौ) से अधिक होने की वजह से बच्चों को शिक्षा ग्रहण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बनघरा में छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन के लिये अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## जानिकी महाविद्यालय भवन का हस्तान्तरण

\*122. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जानिकी महाविद्यालय के भवन का निर्माण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 2022 में ही किया गया तथा इसका उद्घाटन वर्ष 2023 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय भवन का हस्तान्तरण कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को नहीं किये जाने के कारण अबतक इस भवन का शैक्षणिक कार्य के लिये समुचित उपयोग नहीं हो रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शिक्षण कार्य के लिये इस जानिकी महाविद्यालय भवन का हस्तान्तरण कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## शिक्षकों का पदस्थापन

\*123. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि शिक्षकों का पदस्थापन विभाग द्वारा सुदूर ग्रामीणों क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों को आवासन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार राज्य के शिक्षकों का पदस्थापन उनके गृह अनुमंडल से बाहर नहीं करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## स्टेडियम की घेराबंदी एवं समतलीकरण

\*124. श्री भूदेव चौधरी (क्षेत्र संख्या-160 धारैया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिले के रजौन प्रखंड के एलएमसी के उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरा के खेल मैदान में वर्ष 2018 में 54 लाख की लागत से स्टेडियम निर्माण की नींव रखी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्टेडियम की घेराबंदी नहीं रहने से पशुओं और असामाजिक तत्वों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है, साथ ही मिट्टी भराई और समतलीकरण नहीं होने से खिलाड़ियों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उस स्टेडियम की घेराबंदी एवं मैदान समतलीकरण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## आश्रितों की श्रेणी में रखना

\*125. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फूलवारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा अनु0 जाति/जनजाति के कमाऊ व्यक्ति की उत्पीड़क समुदाय द्वारा हत्या किये जाने की स्थिति में सरकार द्वारा अनुदान देने और नियमानुसार आश्रित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भाई आश्रितों की श्रेणी में नहीं आता है, जिसके कारण उसे नौकरी नहीं दी जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निर्देशों में बदलाव करते हुए भाई को आश्रितों की श्रेणी में रखकर नौकरी दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय भवन का निर्माण

\*126. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के खजौली प्रखण्ड स्थित मध्य विद्यालय कन्हौली मल्लिकटोल का भवन जर्जर है, जिसमें मात्र तीन कमरे हैं जबकि 01 कमरा कार्यालय कक्ष, 1 कमरा कम्प्यूटर कक्ष एवं 01 कमरा भंडार कक्ष के रूप में नामित है, जिस कारण लगभग 536 छात्र/छात्राओं को बगल में आम के बगीचे के नीचे पढ़ने को मजबूर होना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के सुचारू रूप से पठन-पाठन के लिए उक्त विद्यालय में नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## प्राथमिक विद्यालय बनाना

\*127. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के बनतारा पंचायत के ग्राम महाराजगंज तथा अमारी पंचायत के ग्राम आशापुर में प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है, जिस कारण दोनों स्थानों पर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन से चार किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोनों जगह पर प्राथमिक विद्यालय बनाने का विचार रखती रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## डिग्री कॉलेज के लिए नियम बनाना

\*128. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रूनीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई वाले विद्यालय यथा सेंट्रल स्कूल/डी0 ए0 वी0 अन्य स्कूलों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के अनुपात में अंग्रेजी मीडियम डिग्री कॉलेज नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि अंग्रेजी मीडियम से उच्च शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को दूसरे राज्य में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राएँ दूसरे राज्य में खर्चों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्राईवेट यूनिवर्सिटी ऐक्ट की तरह खंड (दो) में वर्णित छात्र-छात्राओं के लिए कौन-सी नियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय का निर्माण

\*129. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फरबिसगंज प्रखंड के हलहलिया पंचायत के जागीर हलहलिया गाँव में प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालय एवं फारबिसगंज प्रखंड के जोगवनी नगर परिषद् में क्षेत्र के वार्ड नं0 28 ततमा टोला में प्राथमिक/मध्य विद्यालय नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि वर्णित स्थानों पर विद्यालय नहीं रखने के कारण प्राथमिक/मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे-छोटे छात्र-छात्राओं को अपने स्थान से 3 किलोमीटर दूरी तय कर अन्य स्कूलों में जाना पड़ता है, जिससे गर्मी एवं बरसात के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित दोनों स्थानों पर विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण

\*130. श्री राम सुरत कुमार (क्षेत्र संख्या-89 औराई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफरपुर जिलान्तर्गत कटरा प्रखण्ड के कन्या उत्कृष्ट उच्च विद्यालय, लखनपुर में कक्षा 01 से 12वीं तक 600 (छः सौ) छात्र-छात्राओं का चार कमरों में पठन-पाठन एवं विद्यालय का कार्य किया जाता है तथा बुनियादी विद्यालय, लखनपुर के 365 छात्र-छात्राओं का 2 कमरों में पठन-पाठन किया जाता है, जो काफी जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों विद्यालयों में 8 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय का जीर्णोद्धार

\*131. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखण्ड-राजपुर के पंचायत-खिरी के ग्राम-खिरी में उर्दू प्राथमिक विद्यालय, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा चहारदीवारी के अभाव में विद्यालय के जमीन पर चारों तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय को कबतक नए सिरे से जीर्णोद्धार करते हुए चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराना

\*132. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड में यादव टोला नहर से पश्चिम देवीगंज, पंचायत - दरगाहीगंज के वार्ड नंबर तीन में स्थित प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं एवं राहगीरों का शरणस्थली बना रहता है, जिससे विद्यार्थियों को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं सौन्दर्यीकरण कराना

\*133. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत 213, काराकाट विधान सभा में प्रखण्ड विक्रमगंज, पंचायत घोषिया कला, ग्राम-निंगा में एकमात्र क्रीड़ा स्थल अवस्थित है, जिसमें खेल-कूद के अलावे समय-समय पर अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत का एकमात्र खेल मैदान होने से पुलिस एवं आर्मी के भर्ती के लिये छात्र शारीरिक दक्षता की तैयारी इसी मैदान में किया करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त खेल का चहारदीवारी एवं सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खनन का टेंडर करवाना

\*134. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला-शेखपुरा, नवादा, गया सहित अन्य जगहों के पहाड़ों के खनन का टेंडर पिछले 6 वर्षों से बन्द है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पहाड़ बन्द रहने से दूसरे राज्य झारखंड एवं अन्य राज्य से सरकारी निर्माण कार्य या निजी निर्माण कार्य के लिये महंगे दर पर पत्थर मंगाना पड़ता है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पहाड़ों के खनन हेतु टेंडर करवाकर चालू करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

\*135. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2008 के बाद बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों और नवस्थापित विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिये 7000 से अधिक रिक्तियाँ रहने के बावजूद विज्ञापित जारी नहीं हुयी है जबकि प्रदेश में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के 5 लाख से अधिक प्रशिक्षित अभ्यर्थी इसके लिये प्रतीक्षारत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा लेने और बहाली के लिये नियमावली तैयार करने के कई आश्वासनों और घोषणाओं के बावजूद इसकी बहाली प्रक्रिया अभीतक शुरू नहीं हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुस्तकालय अध्यक्ष पदों पर बहाली के लिये तत्काल विज्ञापन लाने और समय-सीमा के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

\*136. श्री अली अशरफ सिद्दीकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा-4 के अनुसार बोर्ड के विघटन के उपरांत प्रबंधन हेतु एक प्रशासक की नियुक्ति की जायेगी, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से निम्न पद का न होगा, परंतु इस धारा का उल्लंघन कर शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 472, दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के प्रशासक के पद पर अपर सचिव, शिक्षा विभाग को नियुक्त किया गया है, यदि हाँ, तो उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 के उल्लंघन का औचित्य क्या है तथा कबतक सरकार सचिव स्तर के पदाधिकारी को संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?



स्कूल का निर्माण करना

\*137. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय, पैठानी-नाथपुर, फुलवारीशरीफ को उत्कृष्टित माध्यमिक (10+2) विद्यालय में बदल दिया गया है परंतु विद्यालय का भवन नहीं होने से बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्कूल से मात्र आधा कि०मी० के दायरे में ही खंसेरा संख्या 150, 267, 268, 269, 270, 285 गैर-मजहूआ सरकारी जमीन मौजूद होने के बावजूद शिक्षा विभाग, पटना भवन का निर्माण नहीं करवा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जमीन उपलब्ध कराकर स्कूल बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

\*138. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण के अरेराज प्रखंडान्तर्गत पं० जवाहरलाल नेहरू उच्च विद्यालय, सिरनीकोठी एवं संग्रामपुर प्रखंडान्तर्गत दमड़ी असर्फी +2 उच्च विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के बिना विगत डेढ़ वर्षों में 10 लाख रु० से अधिक की राशि की निकासी प्रधानाध्यापक द्वारा कर ली गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई कर राशि वसूली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

\*139. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 डिस्आ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के नरहट प्रखंड में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है जिससे नरहट प्रखंड के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूर-दराज जाने के एकमात्र विकल्प के कारण बहुत-सी छात्राएँ अपनी पढ़ाई बिना उच्च शिक्षा ग्रहण किये बीच में ही छोड़ देती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नवादा जिले के नरहट प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई शुरू करना

\*140. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला में बने भारत के दूसरा वानिकी महाविद्यालय जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022 में किया गया था जहाँ अभीतक पढ़ाई चालू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वानिकी महाविद्यालय में पढ़ाई शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शराब जाँच की अन्य विधि का प्रयोग

\*141. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराब पीने की पुष्टि के लिये ब्रेथ एनालाईजर का उपयोग किया जाता है जो शराब, ताड़ी होमियोपैथीक दवायें तथा अन्य अप्रतिबंधित पेय पदार्थों का अलग-अलग पुष्टि करने की जगह अल्कोहल की पुष्टि करती है, इस कारण ताड़ी पीने अथवा दवा खाने वाले भी पुलिसिया कार्रवाई की जद में आकर जेल भेजे जा रहे हैं यदि हाँ, तो सरकार कबतक ब्रेथ एनालाईजर की जगह दूसरी विधि का प्रयोग कर केवल शराब पीने वालों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय कमरा का निर्माण

\*142. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के अन्तर्गत प्रखंड दरियापुर के पंचायत मुजौना में उत्कर्मित मध्य विद्यालय, धर्मागत एवं पंचायत, अकबरपुर में उत्कर्मित मध्य विद्यालय, छोरहु कोठिया में लगभग 500-500 विद्यार्थी हैं किन्तु कमरा के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त कमरा निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

\*143. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 25 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "डी०डी०सी० वरीय ए०डी०एम० और एस०डी०ओ० ने जिलाधिकारी को सौंपी गलत रिपोर्ट" के आलोक में क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर बालगृह में अधीक्षिका द्वारा दिव्यांग किशोरों को यातना देने की घटना को उजागर करने वाले शिकायतकर्ता को डी०डी०सी०, बक्सर, वरीय ए०डी०एम०, बक्सर और एस०डी०ओ०, बक्सर के गलत जांच रिपोर्ट द्वारा झूठे मुकदमें में फँसाया गया, जबकि पुलिस अधीक्षक, बक्सर के जांच के आधार पर अधीक्षिका पर मुकदमा दर्ज है तथा इस कृत्य के गवाह एक अनाथ बालक को बालगृह से हटा देने से उसकी मैट्रिक की परीक्षा छूट गयी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शिकायतकर्ता को झूठे आरोप में फँसाने तथा एक अनाथ का भविष्य खराब करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय तथा बाउंड्री का निर्माण

\*144. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत हसपुरा प्रखंड के डिंडौर पंचायत के ग्राम-गिरधारी मठिया पर प्राथमिकता विद्यालय नहीं होने से आस-पास के बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है तथा हसपुरा प्रखंड के टाल पंचायत के ग्राम-सिंघाडी में स्थित प्राथमिक विद्यालय का दिवार गिर जाने से विद्यालय में बच्चे असुरक्षित रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार गिरधारी मठिया में प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा ग्राम-सिंघाडी में प्राथमिक विद्यालय, सिंघाडी का बाउंड्री निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लोकपाल की नियुक्ति

\*145. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा लोकपाल की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है जिसके कारण तिलकामांझी विश्वविद्यालय अनुदान की राशि से वंचित रह जायेगी, यदि हाँ, तो लोकपाल की नियुक्ति ससमय नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

दोषियों पर कार्रवाई

\*146. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी उच्च/उच्चतर विद्यालयों में निम्न गुणवत्ता के बच्चों की आपूर्ति की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दो हजार रुपये का बैंच पाँच हजार रुपये में विभाग द्वारा सभी विद्यालयों में आपूर्ति की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

#### यात्रा भत्ता देना

\*147. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना द्वारा वर्ष 2024 में राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत (कक्षा-1 से 5) के शिक्षकों का 6 दिवसीय आवासीय FLN प्रशिक्षण राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण स्थलों पर आयोजित कर सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना द्वारा सभी प्रशिक्षण के चिन्हित शिक्षकों को TA (यात्रा-भत्ता) देने का प्रावधान है, परन्तु आजतक किसी भी शिक्षकों को यात्रा-भत्ता नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा देय यात्रा-भत्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को नहीं देने का क्या औचित्य है ?

#### स्टेडियम का निर्माण

\*148. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौदी (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड में युवाओं को खेल के लिये एक भी खेल मैदान नहीं है जिसके कारण होनहार छात्र-छात्राओं को खेल-कूद करने में काफी कठिनाई होती है और खिलाड़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार धनरूआ प्रखंड में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

#### स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करना

\*149. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगडिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 2598, दिनांक 11 नवम्बर, 2023 द्वारा शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मियों के स्थानान्तरण पर रोक लगा रहने के बावजूद क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, मुंगेर के ज्ञापांक 448,449 एवं 450, दिनांक 29 जून, 2024 के द्वारा क्रमशः प्रधान लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, एवं निम्नवर्गीय लिपिक का स्थानान्तरण किया गया है, जबकि आठ माह पूर्व ही उक्त पदों पर क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, मुंगेर के ज्ञापांक 1441, दिनांक 9 नवम्बर, 2023 के द्वारा प्रोन्नति देते हुये पदस्थापित किया गया था, यदि हाँ, तो सरकार क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, मुंगेर द्वारा किये गये स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

#### दोषी पदा० पर कार्रवाई

\*150. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंड एवं धनश्यामपुर प्रखंड में आंगनवाड़ी केंद्रों में सरकारी मानक के अनुरूप पोषाहार बच्चों को नहीं दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों प्रखंडों के सी०डी०पी०ओ० की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के कारण आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक दोनों प्रखंडों के सी०डी०पी०ओ० के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## कार्रवाई करना

\*151. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावौ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने हेतु अन्य सामग्रियों के साथ-साथ उपस्करों की व्यवस्था करने हेतु निदेशित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सभी स्कूलों में नियमों की अनदेखी करते हुये मनमाने तरीके से जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा ने मनचाहे एजेन्सी का चयन कर उपस्करों का क्रय किया, जो गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण खराब हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार क्रय की गई सामग्रियों एवं प्रक्रिया की जाँच कराते हुये संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## भवन का निर्माण आवंटित जमीन पर

\*152. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय, काजीचक मिल्की, तारापुर की स्थापना वर्ष 2013 में ही हुई है, परंतु विद्यालय भवन निर्माण के लिये जमीन आवंटन के बावजूद अबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण विद्यालय का संचालन 3 किलो मीटर दूर स्थित प्राथमिक विद्यालय, धर्मराय, तारापुर में हो रहा है और इससे छोटे बच्चों को दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण, आवंटित जमीन पर कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## दोषी पर कार्रवाई

\*153. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ0जा0))--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत गौनाहा प्रखंड के धाना सुध्रदा के आस-पास के इलाके में अवैध तरीके से पत्थर का भंडारण कर बेचा जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि धाना गौनाहा एवं धाना सुध्रदा के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अवैध कार्य की जाँच कराते हुये दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## महाविद्यालय की स्थापना कराना

\*154. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के केवटी प्रखंड में एक भी महाविद्यालय नहीं होने से यहाँ के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार केवटी प्रखंड में एक महाविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई

\*155. श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला के तरियानी प्रखंड अन्तर्गत मोतनाजे बागमती तट पर प्रशासनिक मिलीभगत से अवैध खनन का कार्य चलता है, जिसपर ग्रामीणों के सहयोग से 3 जून, 2024 को रोक लगा दिया गया, तत्पश्चात् खनन माफियाओं द्वारा असलाहों से लैस होकर ग्रामीणों के दरवाजे पर पहुँच कर जान से मारने की धमकी दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार खनन माफिया एवं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में कमरे का निर्माण

\*156. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड अन्तर्गत बिहपुर जमालपुर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, मंडल टोला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालय में मात्र तीन रूम है, जबकि यहाँ एक से पंचम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिससे पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में रूम की कमी को दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनाना

\*157. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेदागाल प्रखंड के ग्राम पंचायत कालपीर नव प्राथमिक विद्यालय, धोकरझाड़ी भवनहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के 100 नामांकित बच्चों को 2.5 किलो मीटर दूर माध्यमिक विद्यालय, कंचनबाड़ी में टैग कर दिया गया है, जिस कारण बच्चों के पठन-पाठन एवं उपस्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नव प्राथमिक विद्यालय, धोकरझाड़ी का अपना भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी प्रधानाध्यापक की प्रतिनियुक्ति

\*158. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के (10+2) कलानंद उच्च विद्यालय में विगत 5 वर्षों से प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है और प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा कार्य लिया जा रहा है, जिसके कारण उक्त विद्यालय के छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन सहित अन्य बुनियादी कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में स्थायी प्रधानाध्यापक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## कार्रवाई करना

\*159. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के परैया प्रखण्ड अंतर्गत ब्लॉक नं० 40 आंगनबाड़ी केन्द्र के समीप दशमेश कांटेक्टर्स प्राईवेट लि० द्वारा बालू भंडारण एवं कांटा स्थापित करने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है तथा मां लक्ष्मी क्रिएटिव प्रा० लि० द्वारा मोरहर नदी में कटाव एवं मानक से अधिक गड्ढा किये जाने के चलते बरसात के दिनों में ग्रामीणों को डूबने एवं जान-माल की क्षति की स्थिति बन गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों कंपनियों द्वारा बालू बुलाई एवं ट्रकों एवं ट्रैक्टरों पर बालू लदे रहने के कारण धूलकण उड़ते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराते हुए उक्त कंपनियों पर लाईसेंस अधिनियम के तहत कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## भवन का निर्माण

\*160. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी प्रखण्ड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लाव, भोरी, रामेश्वर, सलेमपुर का भवन निर्मित नहीं होने से छात्र-छात्राओं को अध्ययन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना

\*161. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत करियानी प्रखण्ड के धोरहा, डोलयो एवं सरदाही मध्य विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा उपस्कर (डेस्क, बेंच) एवं अन्य सामग्री की क्रय की गई है, जिसका भुगतान इंजीनियर के गुणवत्ता जाँच के बिना ही कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शौचालय का निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरिंग कराये जाने से संबंधित विज्ञापन/टेंडर नहीं हुआ है तथा मानक के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने के कारण आजतक शुद्ध पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसको जाँच करवाकर दोषी अधिकारियों पर नियमानुकूल कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## स्टेडियम का निर्माण करना

\*162. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 कोसरिया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2008 से 2014 तक राज्य में 302 स्टेडियम निर्माण हेतु 69,57,66,993 रुपये की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें 122 स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं हो सकी है तथा 66 स्टेडियम अभी निर्माणाधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 से 2023 तक 370 स्टेडियम के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 158 स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक 2008 से 2023 तक स्वीकृत सभी स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा कराने एवं विलंब के लिये दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## सामुदायिक भवन बनाना

\*163. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2017 में निर्णय लिया गया है कि महादलित टोलों में जहां पहले से सामुदायिक भवन (वर्कशेड) नहीं है वहाँ सामुदायिक भवन निर्माण किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि मांझा प्रखंड के दानापुर हरिजन टोला तथा दुलदुलिया हरिजन टोला में सामुदायिक भवन (वर्कशेड) नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों महादलित टोलों में सामुदायिक भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## अध्यापकों के पदों पर बहाली

\*164. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन की अध्यापन हेतु अध्यापक नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रिक्त अध्यापकों के पदों पर कबतक बहाली करने का विचार रखती है ?

## स्टेडियम का निर्माण

\*165. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा खेलों के प्रति युवाओं का रूझान एवं प्रोत्साहन हेतु प्रखंडों एवं जिले में स्टेडियम का निर्माण कराकर प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के उच्च विद्यालय, कोइरिया पीपरा में एक बड़ा खेल मैदान है और स्टेडियम नहीं होने के कारण युवाओं को खेल के प्रति अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च विद्यालय, कोइरिया पीपरा में मानक के अनुरूप स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करना

\*166. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत 213, काराकाट विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड बिक्रमगंज, पंचायत मानी, ग्राम-केसोडीह में एकमात्र उर्दू प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उर्दू प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक है तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उन्हें अन्य विद्यालयों में जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उर्दू प्राथमिक विद्यालय, केसोडीह को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

\*167. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड बैसा के मुख्य बाजार पंजवा हाट से बिहार राज्य परिवहन निगम द्वारा एक भी बस का संचालन नहीं किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी बस का परिचालन नहीं होने से लोगों को निजी वाहन, टेम्पू एवं अन्य वाहनों से जिला मुख्यालय एवं अन्य गंतव्य स्थानों तक जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पंजवा हाट से बिहार राज्य निगम द्वारा बस के परिचालन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गर्मी पर नियंत्रण हेतु कदम उठाना

\*168. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बेतहाशा प्रदूषण के कारण इस बार गर्मी में राज्य में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार कर गया, जिसने 54 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया तथा 100 से अधिक लोगों को जानें चली गयी, यदि हाँ, तो जानलेवा गर्मी पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों एवं चहारदीवारी का निर्माण

\*169. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहां विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड मुशाहरी के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, खबड़ा एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मुशाहरी फार्म में लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं, परन्तु उक्त विद्यालयों में मात्र दो कमरे ही हैं और चहारदीवारी भी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?



### चहारदीवारी का निर्माण

\*170. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, महधौर का जमीन कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय, पोखरा के उत्तरवारी भिण्डा पर अवस्थित होने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन के लिये आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का जमीन सीमांकन कराकर रास्ता सहित चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

### भूमि उपलब्ध कराना

\*171. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के अपग्रेड (+2) उच्च विद्यालय, तरैया ईसुआपुर प्रखंड के अपग्रेड (+2) उच्च विद्यालय, रामचैड़ा तथा पानापुर प्रखंड के अपग्रेड (+2) उच्च विद्यालय, रसौली सहित राज्य के अन्य अपग्रेड (+2) उच्च विद्यालयों में सरकारी भूमि प्राप्त नहीं होने के कारण मूलभूत सुविधा हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों के साथ-साथ राज्य के अन्य सभी अपग्रेड (+2) उच्च विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### वेतन भुगतान हेतु कार्रवाई

\*172. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--दैनिक समाचार-पत्र में छपी खबर के शीर्षक "केन्द्रांश नहीं मिलने से शैक्षणिक योजनाओं की गति धीमी" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रांश की राशि नहीं मिलने के कारण राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान समय पर नहीं हो रहा है तथा शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये केन्द्रांश की 2185 करोड़ 74 लाख रुपये की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य की शैक्षणिक योजनाओं का कार्य धीमा हो गया है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शैक्षणिक योजनाओं को गति प्रदान करने एवं समय पर वेतन भुगतान करने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## सरकारी बस सेवा का परिचालन

\*173. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर) --क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत करगहर विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड, करगहर तथा कोचस से राजधानी पटना के लिये एक भी सरकारी बस सेवा परिचालित नहीं है, जबकि दोनों ही प्रखंड पटना, मोहनियाँ (पूर्व में NH-30) फोरलेन सड़क से जुड़े हुये हैं तथा प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहां से राजधानी की यात्रा करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों से पटना के लिये सरकारी बसों को परिचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की लंबित राशि का भुगतान

\*174. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०)) --क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला सहित बनमनखी विधान सभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वर्ष 2023 के बाद स्नातक उत्तीर्ण हजारों छात्राओं को आवेदन करने हेतु पोर्टल अभीतक नहीं खुला है, जिससे हजारों छात्राओं को मिलने वाली 50,000 (पचास हजार) रुपये की प्रोत्साहन राशि लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्ष से उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की लंबित 50,000 (पचास हजार) रुपये की राशि शीघ्र भुगतान करने के लिये कौन-से कार्य कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

## विद्यालय का उत्क्रमण

\*175. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर) --क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर प्रखंड के मध्य विद्यालय, गढ़हरा को जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 57, दिनांक 12 मई, 2021 द्वारा बालिका माध्यमिक विद्यालय, गढ़हरा में उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव भेजा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के तीन वर्षों के बाद भी विभाग द्वारा इस संबंध में अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को बालिका माध्यमिक में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## मॉडल स्कूल बनाना

\*176. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली) --क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बरौली प्रखंड मुख्यालय अवस्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरौली एवं मांझा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित माधव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मांझा मॉडल स्कूल बनने की अभी अर्हताएँ पूरी करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोनों विद्यालयों में मॉडल स्कूल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## वर्ग तथा आवासीय कक्षों का निर्माण कराना

\*177. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा) --क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत कहरा प्रखंड के अमरपुर पंचायत में राजकीय अम्ब्रेडकर आवासीय उच्च विद्यालय विभाग के द्वारा संचालित है, जिसमें मात्र 06 टीन शैड युक्त जर्जर वर्ग कक्ष है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय की आवासीय क्षमता 150 होने के बावजूद वर्तमान में इसमें 300 बच्चे रहते हैं, परन्तु हाल ही में आवासीय क्षमता बढ़ाकर 720 कर दिया गया है, जिसमें आवश्यक सुविधाएँ अनुपलब्ध हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आवासीय विद्यालय में पर्याप्त वर्ग कक्षों के निर्माण के साथ मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

#### दोषियों पर कार्रवाई करना

\*178. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत उल्लूकित मध्य विद्यालय, आलमपुर कोदरिया एवं प्राथमिक विद्यालय, सैदपुर सहित अन्य विद्यालयों में पूर्व से बोरिंग (सबमर्सिबल) होने के बावजूद दोबारा बोरिंग (सबमर्सिबल) कराया गया है जबकि जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

#### कानून का पालन करना

\*179. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैती (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में शिक्षा विभाग के विभागीय नियमों के अनुसार सभी अभिभावक अपने-अपने बच्चों का नामांकन अपने-अपने पोषक क्षेत्र में ही करवाने के लिये बाध्य हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि दूसरे पोषक क्षेत्र में नामांकन करवाने के लिये बच्चों को स्थाई या अस्थायी रूप से आवास स्थल परिवर्तन करना अनिवार्य है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त नियमों के पालन की बाध्यता प्राइवेट विद्यालयों पर लागू नहीं रहने के कारण प्राइवेट विद्यालयों में अपने पोषक क्षेत्र से बाहर के भी बच्चे नामांकन ले रहे हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कानून के पालन की बाध्यता प्राइवेट विद्यालयों पर भी लागू करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:

दिनांक 23 जुलाई, 2024 (ई०) ।

राज कुमार,

सचिव,

बिहार विधान सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित  
2024